सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 06, बुधवार, *शाके* 1945-अप्रेल 26, 2023 *Vaisakha 06, Wednesday , Saka 1945- April 26, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

प्रारूप अधिसूचना

राजसमन्द, अप्रेल 25, 2023

संख्या प.12/17( )राजस्व/भु.अ./2023 राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन जन हित में ग्राम सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द(राज.) में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरीबा हेतु भूमि अधिग्रहण करने के क्रम में निम्नांकित भूमि का अर्जन किये जाने का आशय रखती है -

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा(हे॰)	भूमि का प्रकार	भूमि का स्वामित्व
सिन्देसरखुर्द, तहसील, रेलमगरा, जिला राजसमन्द	431, 433, 1149/433, 1245/1102, 1257/1102,1258/1102, 1292/433, 1239/433,1244/433,1246/433, 1247/433, 1248/433,1249/433, 1250/433,1251/433,1252/433, 1253/433,1254/433, 1255/433, 1256/433,1260/528, 1102, 1277/1103, 1284/433, 434, 259, 260, 264, 266, 267, 271, 273, 276, 281, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 395, 396, 416, 1230/418, 1232/418, 1234/418, 422, 423, 428, 430, 438	16.3088 हे॰	आबादी, कृषि भूमि में बाड़ा, खेल मैदान स्कूल, आंगनवाड़ी आरक्षित भूमि	ग्राम पंचायत राज्य सरकार निजी खातेदारी
कुल भूमि 16.3088 हेक्टेयर प्रथम दृष्टया संभावित प्रभावित परिवार 325 (जो सामाजिक समाघात कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार घट-बढ सकती है)				

अतः राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उक्त भूमि के सामाजिक समाधात निर्धारण के अध्ययन हेतु (एजेन्सी) प्रोफेसर अल्पना कटेजा, प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

उक्त अधिकृत प्रोफेसर अल्पना कटैजा, प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं टीम द्वारा प्रस्तावित अर्जन भूमि से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के विधिक प्रक्रिया अनुसार किया जाना है –

(1) अधिकृत सम्बन्धित (संस्था) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों (परिवारों) का प्रावधानानुसार विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार करना।

(2) प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी, तत्पश्चात् प्रभावित गांव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जन-सुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड करना।

(3) जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाधान प्रबन्धन योजना रिपोर्ट तैयार करना।

(4) सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के परामर्श से की जावेगी तथा भू-स्वामियों की सहमति लिया जाना।

(5) सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग, प्रपीड़न या धमकी का प्रयत्न किया जाने पर उक्त विधिक प्रक्रिया अकृत और शून्य होगी।

(6) सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ कर निर्धारित 2(दो) माह की अवधि में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

सम्पर्क सूत्र-सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु (इकाई),
प्रोफेसर अल्पना कटेजा,
प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर(राज.)

मनसुख राम डामोर,
प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा जिला राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।